

आम-सूचना बावत केवीएट

विश्वविद्यालय के पत्र क्र./आई.पी.आर.ओ./डी.आई./2019-20/909 दिनांक 19.06.19 के तहत राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की पी.जी. एवं पी.एच.डी. संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन (जे.ई.ई. 2019-20) एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 12 जुलाई 2019 को आयोजित होना तय हुआ है। उपरोक्त पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय के विरुद्ध कोई याचिका माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर व ग्वालियर में प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे प्रकरणों में विश्वविद्यालय की ओर से केवीएट प्रस्तुत की जा रही है। अतः ऐसे याचिकाकर्ता जो पत्र के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत करना चाहते हैं उनसे आग्रह है कि याचिका की अग्रिम प्रति नीचे दर्शाये गये अभिभाषक को प्रस्तुत करें। जिससे विश्वविद्यालय प्रस्तुत की जाने वाली याचिका में अपना प्रतिउत्तर पेश कर सके इस हेतु यह सूचना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर	विवेक खेड़कर एडवोकेट ग्वालियर/श्री ध्रुव वर्मा एडवोकेट डिलाइट प्लेटिनम साउथ सिविल लाइन, जबलपुर
2. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर	विवेक खेड़कर एडवोकेट ग्वालियर/श्री चन्द्रशेखर कर्णिक एडवोकेट फ्लैट नं. 108 ई ब्लॉक ग्रीन वैली टाउनशिप, अलोकनगर, कनाडिया रोड, इन्दौर
3. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर	विवेक खेड़कर एडवोकेट, बिचूरकर की गोठ, चावड़ी बाजार, लशकर, ग्वालियर

भवदीय

राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर